न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—139 / 2020 / 225 (2020 / 00139)

1. अंजीलाल शर्मा पुत्र लादू, जाति ब्राहमण,निवासी ग्राम रामपुरा (हुनुवंतिया) तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. अमरा उर्फ अमराव पुत्र हीरा, जाति जाट,
2. नरेन्द्र पुत्र अमरा, जाति जाट, निवासी ग्राम जसवंतपुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. गोपाल पुत्र हरदयाल,
4. चंता पुत्री हरदयाल,
5. नीला पुत्र हरदयाल,
6. ललिता पुत्र हरदयाल,
7. अभयराज पुत्र हरदयाल,
8. रूकमा पुत्री हरदयाल,
9. नौरती पुत्री हरदयाल,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रामपुरा हनुवंतिया, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 14.8.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 11 / 2019.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री कैलाशचंद्र बीजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 9.

निर्णय

दिनांकः— 30.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 14.8.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण / रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया विरूद्ध अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि ग्राम जसवंतपुरा के हाल खसरा नंबर 902 रकबा 0.20 है0 की आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की है । उक्त खसरा नंबर में दर्ज खातेदार चांदा पत्नि हरदयाल की मृत्यु हो गई है जिसके वारिस अप्रार्थी संख्या 2 से 8 है एवं लादू पुत्र भूरा का वारिस अप्रार्थी संख्या 1 है । खसरा नंबर 977 प्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

का खेत है जिस पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 902 के उत्तरी भाग का उपयोग करते है । खसरा नंबर 977 पर जाने के लिए वर्तमान में जो मार्ग विद्यमान है वह खसरा नंबर 980, 979, 901 के मध्य से होकर दर्शित है । खसरा नंबर 902 पड़त है उस पर अप्रार्थीगण ने कभी भी कृषि कार्य नहीं किया है । खसरा नंबर 902 का उपयोग ग्रामीणजन भी रास्ते के रूप में करते है । अप्रार्थीगण खसरा नंबर 902 को अवरोधित करने पर आमादा है । प्रार्थीगण के पास खसरा नंबर 977 पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं होने से आवागमन हेतु खसरा नंबर 902 में से 10 फिट चौड़ व 160 फिट लंबा मार्ग दिलवाया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 14.8.2020 को पारित कर प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 902 में से 10 फिट चौड़ा व 160 फिट लंबा रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 से 9 के संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 902 के पास रेस्पो0 संख्या 1 प्रार्थी आवेदनकर्ता का खेत खसरा नंबर 977 में आवागमन के लिए रास्ता मांगा गया है जबकि खसरा नंबर 977 में मौके पर आवागमन हेतु हाल खसरा नंबर 990 980, 991 में से होकर खातेदारी सिवायचक भूमि से रास्ता विद्यमान है तथा रेस्पो0 संख्या 1 प्रार्थी/आवेदनकर्ता का खेत खसरा नंबर 977 के चारो ओर चारदीवारी बनाकर रह रहा है तथा पूरब व दक्षिण दिशा की ओर गेट बना हुआ है, के समस्त राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । दावाकृत भूमि बाबत् पटवारी हल्का द्वारा मौके की संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है तथा ना ही रास्ता विद्यमान है बाबत् कोई रिपोर्ट दी गई है । दावाकृत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की भूमि के दोनो तरफ अवस्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की भूमि के दोनों तरफ पक्का निर्माण किया हुआ है तथा मौके पर कोई रास्ता स्थित नहीं है । प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समस्त तथ्य छिपाकर आदेश प्राप्त किये है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 की आराजी खसरा नंबर 902 977 पर जाने के लिये खसरा नंबर 902 के उत्तरी भाग से आते जाते रहे है तथा यह आवागमन लगभग 100 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है । खसरा नंबर 902 पड़त भूमि है जिस पर अपीलांट ने कभी भी कृषि कार्य नहीं किया है तथा आमजन भी रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादग्रस्त आराजियात का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार खसरा नंबर 901 नरेन्द्र जाट प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्शित है । प्रार्थी संख्या 2 ने अपने कृषि कार्यो की सुरक्षा हेतु दीवार निर्मित कर ली है । खसरा नंबर 980 भारमल पुत्र हजारी का है तथा खसरा नंबर 979 सरकारी खाता है । खसरा नंबर 978 अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व का है । विरासत दर्ज होना बाकी है तथा नक्शा ट्रेस के अनुसार एक मार्ग जाता हुआ दर्शित होता है जो खसरा नंबर 977 तक जाता है परन्तु यह खसरा नंबर 902 से गुजरता है तथा उसके आगे भी बालाजी के स्थान पर आवागमन का

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मार्ग है जहां आम ग्रामीणजन भी निरन्तर जाते है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया है कि रेस्पो0/प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग विद्यमान नही है तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । अधी0न्याया0 ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत् आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 977 में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 902 में से रास्ते के संबंध में प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, नसीराबाद से विवादित भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार ने अपने पत्र दिनांक 10.1.2020 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 9.1.202020 अधी0न्याया0 को प्रेषित की है । उक्त मौका रिपोर्ट में भू–अभिलेख निरीक्षक ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''खसरा नंबर 977 में आवागमन हेतु सबसे लघुतम मार्ग खसरा नंबर 902 की उत्तर दिशा की मेड़ से लगवा रास्ता रहेगा । खसरा नंबर 977 के लिए आवागमन हेतु मुख्य आबादी से अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 902 में से सबसे नजदीक एवं आवश्यक है।'' भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की आराजियात में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग मौके पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि खातेदार की आराजियात में आने–जाने हेतु कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा उसे रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता हो तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, दिया जा सकता है। अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजियात में आने–जाने हेतु कोई रास्ता विद्यमान नहीं होने तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने से प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर रास्ते के आदेश जो पारित किये है वह विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.8.2020 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30·3·2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर